(7)

पत्र संख्या–कारा/भवन–39/2015......2895

**बिहार सरकार**
**गृह विभाग**
**(कारा)**

प्रेषक,

**राजीव वर्मा,**
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0),
गृह विभाग (कारा)।

सेवा में,

**महालेखाकार (लेखा एवं हक0),**
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 13-5-2016

विषयः– **राज्य योजना वित्तीय वर्ष–2016–17 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–051–निर्माण, मांग सं0 22, उप शीर्ष–0103–केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड–P 4070000510103 राज्य योजना स्कीम कोड–HOM-5423, 53 01- मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में निर्माण एक अद्द MD Hall, एक अद्द जीम हॉल, एक अद्द गेस्ट हाऊस का निर्माण एवं एक अद्द प्रशासनिक क्षेत्र में सीढ़ी का जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹2,22,78,450 (दो करोड़ बाईस लाख अठहत्तर हजार चार सौ पचास रूपये) की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना वित्तीय वर्ष–2016–17 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–051–निर्माण, मांग सं0 22, उप शीर्ष–0103–केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड–P 4070000510103 राज्य योजना स्कीम कोड–HOM-5423, 53 01- मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में एक अद्द MD Hall, एक अद्द जीम हॉल, एक अद्द गेस्ट हाऊस का निर्माण एवं एक अद्द प्रशासनिक क्षेत्र में सीढ़ी का जीर्णोद्धार कार्यों हेतु ₹2,22,78,450 (दो करोड़ बाईस लाख अठहत्तर हजार चार सौ पचास रूपये) की लागत पर, वित्त विभाग के संकल्प पत्र संख्या–96वि0(2) दिनांक–03.01.2008 की कंडिका 4(क) के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती हैः–

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | राशि |
|---|---|---|
| 1. | Renovation of stair at Administratitive Area – 01 (एक) अदद | 6,51,850 |
| 2. | Gym Hall – 01 (एक) अदद | 36,65,800 |
| 3. | Guest House – 01 (एक) अदद | 95,09,700 |
| 4. | MD Hall – 01 (एक) अदद | 84,51,100 |
| | कुल | **2,22,78,450** |

**(दो करोड़ बाईस लाख अठहत्तर हजार चास सौ पचास रूपये)**

2. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ होंगे तथा वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश ज्ञापांक–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या– को0प्र0/विविध–06/2015–5537 दिनांक–24.06.2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत बी0टी0सी0–46 में विपत्र तैयार किया जाएगा तथा कोषागार पदाधिकारी Inter Department Transfer Bill Type में विपत्र पारित करेंगे तथा राशि निगम के खाते मे अन्तरित की जाएगी। उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना–800014 के पी0एल0 खाता संख्या–157 एवं जमा शीर्ष–8448001200007 में अंतरण जमा किया जायेगा।

F:\Letter Ind\Swikritiyadesh for Beur misc. work 11.05.2016.doc

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹2,22,78,450 (दो करोड़ बाईस लाख अठहत्तर हजार चार सौ पचास रूपये) मात्र का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–051–निर्माण, मांग सं0 22, उप शीर्ष–0103–केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड–P 4070000510103 राज्य योजना स्कीम कोड–HOM-5423, 53 01- मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

4. पी0 एल0 खाताधारी प्रत्येक त्रैमास का पी0एल0 खाता का धन ऋण ज्ञापन (Plus Minus Memorandum) तथा पी0एल0 खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ त्रैमासिक आधार पर त्रैमास के अगले माह के 15वीं तिथि तक कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को लेखा प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे।

5 इस योजना की आवंटित की गयी राशि का विचलन कार्यान्वियन ऐजेंसी द्वारा अन्यत्र नहीं किया जायेगा।

6. योजना का ससमय कार्यान्वित करने का दायित्व बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का होगा, जो योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करा कर आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र और भौतिक प्रतिवेदन सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार को भेजेंगे।

7. योजना के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा संचिका संख्या–कारा/भवन–39/2015 के टिप्पणी पृ0–13/टि0 पर दिनांक–11.05.2016 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–कारा/भवन–39/15 के टिप्पणी पृ0–14/टि0 पर दिनांक–13.5.16 को दी गई है।

9. स्वीकृत योजना के लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी से पूर्व महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13.5.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः– कारा/भवन–39/2015...2895 पटना, दिनांक 13-5-2016

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना/सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग (कारा)/जिला पदाधिकारी, पटना/अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.5.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः– कारा/भवन–39/2015...2895 पटना, दिनांक 13-5-2016

प्रतिलिपिः– महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.5.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः– कारा/भवन–39/2015....2895 पटना, दिनांक 13-5-2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,/ संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.5.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)